

कस्टम हायरिंग सैन्टर की स्थापना 2019–20

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
आवश्यक सूचना

हरियाणा प्रदेश के किसान भाईयों को सूचित किया जाता है कि कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2019–20 के दौरान केन्द्र सरकार के नई इन-सीटू क्रोप रेजीड्यू मैनेजमेंट स्कीम के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में कस्टम हायरिंग सैन्टर स्थापित किये जायेंगे जिसके लिए इच्छुक किसानों के समूह, किसानों की सहकारी सोसाइटियों, एफ0पी0ओ, स्वयं सहायता समूह, रजिस्टर्ड किसान सोसाइटी/किसान समूह, प्राईवेट उद्यमी, महिला किसान समूह या स्वयं सहायता समूह से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं । इस स्कीम के तहत अधिकतम 10 लाख रुपये की परियोजना लागत के कस्टम हायरिंग सैन्टर बनाए जा सकते हैं जिस पर 80 प्रतिशत अनुदान राशि का प्रावधान है । कस्टम हायरिंग सैन्टर की परियोजना लागत में केवल इन-सीटू क्रोप रेजीड्यू मैनेजमेंट मशीनरी (केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत 8 प्रकार के कृषि यन्त्रों में से कोई भी) ही खरीदना अनिवार्य है ।

इस बारे में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.agriharyana.gov.in पर उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त स्कीम के बारे में जानकारी व आवेदन पत्र संबंधित उप-कृषि निदेशक/सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय से अथवा टोल फ्री नम्बर 18001802117/0172-2521900 पर सम्पर्क कर सकते हैं । (समय सीमा 10-06-2019 प्रातः 10 बजे से दिनांक 10-07-2019 सांय 5 बजे तक निर्धारित है) ।